



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31012025-260622

CG-DL-E-31012025-260622

XXXXGIDXXXX

xxxGIDxxx

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 82]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 29, 2025/माघ 9, 1946

No. 82]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 29, 2025/MAGHA 9, 1946

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2025

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2025

फा. सं. आई.बी.बी.आई./2024-25/जी.एन./आर.ई.जी.121.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है) के विनियम 45 के उप-विनियम (3) के खंड (क) में "चालू समुत्थान के रूप में किया जाता है" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 के अधीन कोई समझौता या ठहराव स्वीकार किया गया है"

3. मूल विनियमों के विनियम 46 में, उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(1) बोर्ड किसी अनुसूचित बैंक के पास एक खाता रखेगा और उसका प्रचालन करेगा जिसे कारपोरेट समापन खाता कहा जाएगा।”

4. मूल विनियम में, विनियम 47क के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“47ख. प्ररूपों का फाइल किया जाना

(1) परिसमापक, नीचे दी गई सारणी में प्रत्येक प्ररूप के सामने अनुबंधित समय-सीमा के अनुसार, प्ररूपों के संलग्नकों सहित, बोर्ड के किसी इलैक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म पर प्ररूप फाइल करेगा:-

सारणी

प्ररूप सं.	समयावधि और परिधि	समय-सीमा
(1)	(2)	(3)
परि.1	समापन प्रारंभ होने की तारीख से लोक उद्घोषणा तक: इसके अंतर्गत परिसमापक, कारपोरेट ऋणी, परिसमापक की फीस आदि के ब्यौरे आते हैं।	लोक उद्घोषणा किए जाने के पश्चात् आगामी मास के 10वें दिन या उससे पूर्व।
परि.2	लोक उद्घोषणा से प्रगति रिपोर्ट तक: इसके अंतर्गत मूल्यांकन, विक्रय, मुकदमेबाज़ी, परिवर्जनीय संव्यवहारों, परामर्श समिति की बैठकों, प्राप्तियों और संदायों आदि के ब्यौरे आते हैं।	न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के प्रत्येक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् आगामी मास के 10वें दिन या उससे पूर्व।
परि.3	अंतिम रिपोर्ट से विघटन के आवेदन तक: इसके अंतर्गत अदावाकृत आगमों, विक्रय, मुकदमेबाज़ी, परिवर्जनीय संव्यवहारों, वसूली, आगमों प्राप्तियों और संदायों का वितरण, आदि के ब्यौरे आते हैं।	न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को विघटन/बन्द करने संबंधी आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात्, आगामी मास के 10वें दिन या उससे पूर्व।
परि.4	विघटन के लिए आवेदन से विघटन के आदेश तक: इसके अंतर्गत आगमों, प्राप्तियों और संदायों के वितरण आदि के ब्यौरे आते हैं।	न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा कारपोरेट ऋणी के विघटन के लिए या समापन प्रक्रिया बन्द करने का आदेश पारित किए जाने के 14वें दिन या उससे पूर्व।

(2) परिसमापक यह सुनिश्चित करेगा कि इस विनियम के अधीन फाइल किए गए प्ररूप और उनके संलग्नक सही और पूर्ण हैं।

(3) इस विनियम के अधीन, किसी प्ररूप को, चाहे सुधार, अद्यतन करने या अन्यथा, प्रस्तुत किए जाने की नियत तारीख के पश्चात् फाइल करने पर, बोर्ड द्वारा यथा-अधिसूचित तारीख के पश्चात्, विलंब के प्रत्येक कलेंडर मास के लिए प्रति प्ररूप पांच सौ रुपए की फीस संलग्न की जाएगी।

(4) परिसमापक, ऐसी किसी कार्रवाई के लिए दायी होगा जो बोर्ड संहिता या उसके अधीन बनाए गए किसी विनियम के अधीन उचित समझे, कर सकेगा जिसके अंतर्गत -

(i) अपेक्षित जानकारी और अभिलेख सहित प्ररूप फाइल करने में असफल रहने,

(ii) किसी प्ररूप में या उसके साथ फाइल की गई गलत या अपूर्ण जानकारी या अभिलेख,

(iii) प्ररूप फाइल करने में विलंब,

के कारण असाइनमेंट के लिए प्राधिकार-पत्र जारी करने या उसका नवीकरण करने से इनकार करना भी है।”

5. मूल विनियमों की अनुसूची I के पैरा (1) में,-

(i) खंड (1घ) का लोप किया जाएगा।

(ii) खंड (1ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(1ङ) परिसमापक, भावी बोलीकर्ता को उनका निरीक्षण और सम्यक् तत्परता सुकर बनाने के लिए नीलामी के अंतर्गत आने वाली आस्तियों तक पहुंच प्रदान करेगा।”

(iii) खंड 5 के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(5क) लोक सूचना में यह कथन किया जाएगा कि भावी बोलीकर्ता यह वचनबंध प्रस्तुत करेंगे कि वे संहिता की धारा 29क के अधीन, जहां तक वह लागू होती है, किसी अपात्रता से ग्रस्त नहीं हैं और यदि किसी प्रक्रम पर उन्हें अपात्र पाया जाता है तो जमा की गई अग्रिम धनराशि ज़ब्त कर ली जाएगी।”

(iv) खंड (12) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(12क) परिसमापक, उच्चतम बोलीकर्ता की घोषणा करने के तीन दिन के भीतर सम्यक् तत्परता बरतेगा और उच्चतम बोलीकर्ता की पात्रता को सत्यापित करेगा।

(12ख) परिसमापक, विनियम 31क के अधीन परामर्श समिति को नीलामी के परिणाम, उच्चतम बोलीकर्ता के ब्यौरे और उसके संबंध में बरती गई सम्यक् तत्परता के ब्यौरे प्रस्तुत करेगा।

(12ग) परिसमापक, विनियम 31क के अधीन परामर्श समिति से परामर्श करने के पश्चात्, उच्चतम बोलीकर्ता को सफल बोलीकर्ता के रूप में घोषित करेगा या ऐसी बोली को अस्वीकार करेगा।

(12घ) यदि कोई बोलीकर्ता अपात्र पाया जाता है तो उसके द्वारा जमा की गई अग्रिम धनराशि ज़ब्त कर ली जाएगी।

(12ङ) यदि उच्चतम बोलीकर्ता अपात्र पाया जाता है तो परिसमापक, परामर्श समिति के परामर्श से खंड (12क) से खंड (12ङ) के अधीन यथा-उपबंधित उसी प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् अगले उच्चतम बोलीकर्ता को सफल बोलीकर्ता के रूप में घोषित कर सकेगा।”

6. मूल विनियमों की अनुसूची II के प्ररूप I में, सारणी ख के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्:-

“ख. उन हितधारकों के ब्यौरे, जो अदावाकृत लाभांशों या अवितरित आगमों के लिए हकदार हैं

क्र. सं.	अदावाकृत लाभांशों या अवितरित आगमों को प्राप्त करने के हकदार हितधारक का नाम	हितधारक का पता, फोन नंबर और ईमेल पता	हितधारक का पहचान संख्यांक (पैन, सी.आई.एन., आदि) (कृपया सबूत संलग्न करें)	हितधारक को देय रकम (रूपयों में)	देय रकम का प्रकृति	आयकर अधिनियम या किसी अन्य विधि की लागू धारा, जिसके अधीन कर की कटौती का जानी है	काटे जाने वाले कर की रकम	अदावाकृत लाभांशों या अवितरित आगमों के लिए कारण	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.									
2.									
3.									

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./939/2024-25]

टिप्पणः—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 460, तारीख 15 दिसम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.005, तारीख 15 दिसम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 457, तारीख 16 सितम्बर, 2022 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2023-24/जी. एन./आर.ई.जी.112, तारीख 12 फरवरी, 2024 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया)(संशोधन) विनियम, 2024 द्वारा किया गया था।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2025

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Amendment) Regulations, 2025.

F. No. IBBI/2024-25/GN/REG121.—In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016, namely: -

1. (1) These Regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Amendment) Regulations, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016 (hereinafter referred to as 'the principal regulations'), in regulation 45, in sub-regulation (3), in clause (a), after the words "sold as a going concern", the following shall be inserted, namely: -

“or a compromise or arrangement has been sanctioned under section 230 of the Companies Act, 2013”

3. In the principal regulations, in regulation 46, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(1) The Board shall maintain and operate an account to be called the Corporate Liquidation Account with a scheduled bank.”

4. In the principal regulations, after regulation 47A, the following regulation shall be inserted, namely: -

“47B. Filing of Forms.

(1) The liquidator shall file the Forms, along with the enclosures thereto, on an electronic platform of the Board, as per the timelines stipulated against each Form, as per the Table below: -

TABLE

Form No.	Period Covered and Scope	Timeline
LIQ 1	From liquidation commencement date till public announcement: This includes details of the liquidator, corporate debtor, the liquidator's fee, etc.	On or before the 10th day of the subsequent month, after a public announcement has been made.
LIQ 2	From public announcement till Progress Report: This includes details of valuation, sale, litigations, avoidance of transactions, meetings of consultation committee, receipts and payments, etc.	On or before the 10th day of the subsequent month, after submission of each Progress Report to the Adjudicating Authority.
LIQ 3	From final report to application for dissolution: This includes details of unclaimed proceeds, sale, litigations, avoidance transactions, realisation, distribution of proceeds, receipts and payments, etc.	On or before the 10th day of the subsequent month, after submission of the dissolution /closure application to the Adjudicating Authority.
LIQ 4	From application for dissolution to order of dissolution: This includes details of the distribution of proceeds, receipts and payments, etc.	On or before the 14 th day of passing of the order for dissolution of corporate debtor or closure of the liquidation process by the Adjudicating Authority.

(2) The liquidator shall ensure that the Forms and its enclosures filed under this regulation are accurate and complete.

(3) The filing of a Form under this regulation after the due date of submission, whether by correction, updation or otherwise, shall be accompanied by a fee of five hundred rupees per Form for each calendar month of delay after the date notified by the Board.

(4) The liquidator shall be liable to any action which the Board may take as deemed fit under the Code or any regulation made thereunder, including refusal to issue or renew Authorisation for Assignment, for -

- (i) failure to file a Form along with requisite information and records;
- (ii) inaccurate or incomplete information or records filed in or along with a Form;
- (iii) delay in filing the Form.”

5. In the principal regulations, in Schedule I, in para (1),

(i) Clause (1D) shall be omitted.

(ii) for clause (1E), the following clause shall be substituted, namely:-

“(1E) The liquidator shall provide to the prospective bidder, access of the assets under auction to facilitate their inspection and due diligence.”

(iii) after clause (5), the following clause shall be inserted, namely:-

“(5A) The public notice shall state that prospective bidders shall submit an undertaking that they do not suffer from any ineligibility under section 29A of the Code to the extent applicable and that if found ineligible at any stage, the earnest money deposited shall be forfeited.”

(iv) after clause (12), the following clauses shall be inserted, namely:-

“(12A) Within three days of declaring the highest bidder, the liquidator shall conduct due diligence and verify the eligibility of the highest bidder.

(12B) The liquidator shall present the auction results, details of highest bidder, and the due diligence conducted on it to the consultation committee under regulation 31A.

(12C) The liquidator shall declare the highest bidder as the successful bidder or reject such bid, after consultation with the consultation committee under regulation 31A.

(12D) If a bidder is found ineligible, the earnest money deposited by him shall be forfeited.

(12E) In case the highest bidder is found ineligible, the liquidator may, in consultation with the consultation committee, declare the next highest bidder as the successful bidder after following the same process as provided under clause (12A) to clause (12E).”

6. In the principal regulations, in Schedule II, in Form I, for table B, the following table shall be substituted, namely:-

“B. Details of Stakeholders entitled to Unclaimed Dividends or Undistributed Proceeds

Sl. No.	Name of stakeholder entitled to receive unclaimed dividends or undistributed proceeds	Address, phone number and email address of the stakeholder	Identification Number of the stakeholder (PAN, CIN, etc.) (Please attach Identification proof.)	Amount due to the stakeholder (Rs.)	Nature of Amount due	Applicable section of the Income Tax Act, 1961 or any other law under which tax is to be deducted	Amount of tax deducted (Rs.)	Reason for unclaimed dividends or undistributed proceeds	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1									
2									

RAVI MITAL, Chairperson
[ADVT.-III/4/Exy./939/2024-25]

Note:—The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016 were published vide notification No. IBBI/2016-17/GN/REG005 dated 15th December, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide No. 460 on 15th December, 2016 and were last amended by Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Amendment) Regulations, 2024 vide notification No. IBBI/2023-24/GN/REG112 dated the 12th February, 2024 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide No. 95 on 12th February, 2024.